न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी — डॉ. अंजली राजोरिया I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
01/2025	2025/	04.04.2025	21.05.2025

श्री राधेश्याम पिता मथुरालाल तेली उम्र व्यस्क निवासी बोरी उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बोरी FPS कोड 15500 लाईसेंस नं. 06/2003 तहसील एवं जिला प्रतापगढ़

:– अपीलान्ट

–: बनाम :–

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़

:– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निलंबन आदेश क्रमांक :– रसद/अभियोग/2024–25/217 दिनांक 06.06.2024 द्वारा जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़

उपस्थिति :–
1. श्री भूपेन्द्र सिंह राव अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह प्रर्वतन अधिकारी रसद पैरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

आदेश — दिनांक :–21.05.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध निलंबन आदेश क्रमांकः–रसद/अभियोग/2024–25/217 दिनांक 06.06.2024 द्वारा जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वासीयान बोरी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत मिथ्या एवं भाम्रक ज्ञापन पत्र के आधार जिला रसद अधिकारी द्वारा बिना किसी युक्ति –युक्त जांच कार्यवाही मुझे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मेरे अधिकार पत्र को निलंबित कर दिया गया।

अतः अपील अपीलार्थी सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरा निलंबन आदेश अपास्त फरमावें।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट रेस्पोडेन्टगण कि ओर से पैरोकार सरकार रसद उपस्थित हुए बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि ग्राम वासीयान बोरी के कुछ द्वैश्ता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत मिथ्या एवं भाम्रक ज्ञापन पत्र के आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा बिना किसी समुचित जांच कार्यवाही के अपीलार्थी का अधिकार पत्र दिनांक 06.06.2024 को निलंबित कर दिया है जिसे 10 माह कि अवधी व्यतीत होने उपरान्त भी बहाल नहीं किया गया है। जबकि प्रचलित विधियों अनुसार किसी भी कार्मिक के विरूद्ध जारी निलंबन आदेश के कारणों सहित 3 माह की अवधी में अन्तिम निस्तारण करना अनिवार्य होता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित निलंबन

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

आदेश दिनांक 06.06.2024 को अपास्त फरमाते हुए अपीलार्थी के अधिकार पत्र को बहाल करावें।

इसी प्रक्रम में उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को उचित बताते हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा संचालित दुकान का संचालन स्वयं के द्वारा नहीं किया जाकर अपने विवादित पुत्र से कराया जाता है जो गर्डर के आरोप का आरोपी है जिसका चाल चलन भी ठीक नहीं है एवं अपीलार्थी द्वारा दुकान का संचालन सही समय और वितरण हेतु निर्धारित अवधी में नहीं करता है तथा राशन ग्राहकों को प्रति स्वभाव उचित नहीं है। अतः की गई कार्यवाही को संपुष्ट फरमाते हुए अपील अपीलार्थी खारीज फरमावें।

इसी प्रक्रम में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रतिपरीक्षा चाहते हुए निवेदन किया कि पैरोकार सरकार द्वारा लगाये गये आरोप सिद्ध योग्य नहीं है क्योंकि उनके द्वारा मात्र ज्ञापन आधार पर कार्यवाही की गई है उक्त ज्ञापन में वर्णित कथनों के संबंध में समय पर कोई जांच नहीं की गई है। उचित मुल्य दुकान का संचालन अपीलार्थी स्वयं अधिकृत विक्रेता द्वारा ही किया जाता है उसके व्योवद्ध 65 वर्षिय आयु का होने से मात्र अपने दोहिते (पुत्री के बच्चे) का सहयोग लिया जाता है और जहां तक मेरे पुत्र के विरूद्ध आपसी भूमि विवाद के चलते ग्राम के अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाने को आधार बनाते हुए दर्ज प्रकरण अन्तर्गत धारा 302 IPC अन्तर्गत अपीलार्थी का कोई सरोकार नहीं है तथा उक्त प्राथमिकी जांच कार्यवाही में जांच अधिकारी द्वारा प्राथमिकी के झुठी होने आधार पर अन्तिम रिपोर्ट भी न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिससे मेरा कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षतः सरोकार नहीं है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें प्रमुख रूप से प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 04.04.2025 एवं ज्ञापन दिनांक 06.06.2024 तथा निलंबन आदेश दिनांक 06.06.2024 एवं अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति पत्र दिनांक 06/2003 तथा प्राथमिकी संख्या 72 दिनांक 29.05.2024 के साथ साथ प्रकरण पर प्रचलित विधियों के साथ गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी को जारी अधिकार पत्र वर्ष 2003 से जारी किया हुआ है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में कोई कार्यवाही संचालित होना दर्शित रिकार्ड नहीं है तथा प्रस्तुत ज्ञापन की संपुष्टि हेतु कोई समुचित जांच की गई हो रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध की गई निलंबन कार्यवाही दिनांक 06.06.2024 से वर्तमान तक 10 माह की अवधी तक अपीलार्थी को सूनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कोई विभागीय विचाराधीन नहीं होने तथा ज्ञापन में वर्णित प्राथमिकी अन्तर्गत अपीलार्थी का नाम नहीं होने से निलंबन कार्यवाही शुन्य (VOID) घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही विभागीय आदेश क्रमांक :– 97(8) खा.वि./सा.वि.प्र./2000 जयपुर दिनांक 07.05.2001 के अध्ययाधीन उचित मुल्य दुकानदार (FPS कोड 15500 लाईसेंस नं. 06/2003) की आयु 65 वर्ष होने से उचित मुल्य दुकान संचालन हेतु अपीलार्थी के आवेदन पर निकटतम रिश्तेदार को सहयोग हेतु प्राधिकृत किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी विवादित आदेश दिनांक 06.06.2024 को अपास्त किया जाता है। साथ ही अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय आदेश दिनांक 07.05.2001 की अनुसरण में समुचित कार्यवाही के साथ अपीलार्थी का प्राधिकृत पत्र बहाल करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

681